बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

संचिका सं0–03/आ01–27/2024...../श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पीत पत्र संख्या–55/नि0 मा0 दिनांक 21.03.2024 तथा मधुबनी जिला के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त इन्हें फर्नीचर मद/आधारभूत संरचना मद में आवंटित की गयी राशि का व्यय संतोषजनक नहीं पाये जाने/संध्याकालीन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरान्त होने वाले पी0पी0टी0 प्रस्तुतीकरण में कई बार अनुपस्थित रहने/कर्त्तव्य में लापरवाही/उदासीनता/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना इत्यादि प्रथम दृष्ट्रव्या प्रमाणित आरोपों के लिए बिहारी सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत संकल्प संख्या–34 दिनांक 21.03.2024 द्वारा निलंबित किया गया।

2. श्री राजेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन करते हुए संकल्प संख्या–128049 दिनांक 29.04.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. कार्यालय आदेश संख्या–459 दिनांक 30.04.2024 द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत कार्यहित में श्री राजेश कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पद पर पदस्थापित किया गया।

4. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री राजेश कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। श्री राजेश कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत उसे स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए आदेश संख्या–304825 दिनांक 10.10.2025 द्वारा इन्हें "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध" करने की शास्ति अधिरोपित/संसूचित की गयी। दंडादेश में यह वर्णित है कि निलंबन अवधि के संबंध में नियमानुसार अलग से निर्णय लिया जाएगा।

5. श्री राजेश कुमार के विरूद्ध संसूचित शास्ति के विरूद्ध इनके द्वारा अपील आवेदन दायर किया गया जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस संबंध में आदेश सं.–314867 दिनांक 31.10.2025 निर्गत है।

6. चुकि श्री राजेश कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाए जाने के आधार पर इनपर लघु शास्ति अधिरोपित की गयी है। अतएव श्री राजेश कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 30.04.2024) के वेतन/भत्तों एवं सेवा निरूपण के संबंध में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा **"निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ अन्य देय नहीं होगा परंतु यह पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित की जाएगी"** का दंड विनिश्चित किया गया।

7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11(5) के प्रावधानों के तहत श्री राजेश कुमार को विभागीय पत्रांक–450302 दिनांक 01.07.2026 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। श्री राजेश कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक 22.07.2026 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री राजेश कुमार द्वारा

समर्पित अभ्यावेदन में पूर्व के तथ्यों का अंकन किया गया कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया।

8. श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के निलंबन अवधि (दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 30.04.2024) के वेतन/भत्तों एवं सेवा निरूपण के लिए पूर्व में सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए गए दंड **"निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ अन्य देय नहीं होगा परंतु यह पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित की जाएगी"** को यथावत् रखा जाता है।

9. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–27/2024-I/519835/पटना, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक/प्रबंध निदेशक/परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02/श्री राजेश कुमार, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Vijay Kumar Pandey
Date: 13-10-2026 14:41:21
निदेशक (प्रशासन)